संख्या-1076/2026/1326/22-2-2025-17(885)/2021

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुबोध उर्फ रामा पुत्र श्री नरेश सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुबोध उर्फ रामा पुत्र श्री नरेश सिंह, करपिया, थाना-बेबर, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक-14.01.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक व तमन्चे से गोली मारकर धर्मवीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं राजू नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-155/07, 65/08 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 504, 506(2) व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-06, मैनपुरी के आदेश दिनांक 15.02.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 20.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा 18 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की आख्या दिनांक 13.10.2022 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 20.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की सजा भोगे जाने, जेल आचरण संतोषजनक होने आदि के आधार पर प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुबोध उर्फ रामा पुत्र नरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुबोध उर्फ रामा (बन्दी संख्या-133/2020) पुत्र श्री नरेश सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा समयपूर्व रिहा न किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1076/2026/1326/(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1076/2026/1326/22-2-2025-17(885)/2021

दिनांक 14 अगस्त, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुबोध उर्फ रामा पुत्र श्री नरेश सिंह, करपिया, थाना-बेबर, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक-14.01.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक व तमन्चे से गोली मारकर धर्मवीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं राजू नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-155/07, 65/08 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 504, 506(2) व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-06, मैनपुरी के आदेश दिनांक 15.02.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 20.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा 18 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97. दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की आख्या दिनांक 13.10.2022 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 20.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 03 माह, 21 दिन की सजा भोगे जाने, जेल आचरण संतोषजनक होने आदि के आधार पर प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुबोध उर्फ रामा पुत्र नरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों व विद्यमान परिस्थितियों में प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुबोध उर्फ रामा पुत्र नरेश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर की गयी संस्तुति एवं अन्य सुसंगत अभिलेखो/परिस्थतियो पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।